उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-3
संख्या- 12/2017/1541/37-3-2017-3(05)/2016 टी0सी0
लखनऊः दिनांक 05 दिसम्बर, 2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

डा0 जे0पी0एन0 सिंह, तत्कालीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, फैजाबाद के विरूद्ध पद पर कार्यरत रहते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि तक कार्यालय की कैश चेस्टबुक पूर्ण कराकर उसमें अवशेष रोकड़ एवं कैशबुक हस्तगत न कराने तथा गम्भीर वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप में शासन के कार्यालय आदेश संख्या-50/37-3-2016 -3(05)/2016, दिनांक 18.05.2016 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351(ए) के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जाँच अधिकारी की जाँच आख्या उनके पत्र संख्या-60/एस0टी0/सं0नि0(प्रशा0), दिनांक 26.12.2016 द्वारा शासन को प्राप्त हुई। जाँच अधिकारी की जाँच आख्या में डा0 जे0पी0एन0 सिंह के विरूद्ध लगाया गया आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया।

3- आरोप के संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह मत स्थापित किया गया कि सी0यू0जी0 सिम जमा न कराना, मोबाईल सेट खोना यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, जो पुष्टि करता है कि डा0 सिंह द्वारा सरकारी कार्य के निर्वहन में लापरवाही बरती गयी है। अतः डा0 सिंह पर आरोप पूर्णतः सिद्ध पाया गया है।

4- सिद्ध पाये गये आरोप के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या-155/37-3-2016-3(05) /2016 टी.सी., दिनांक 10.02.2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अन्तर्गत डा0 सिंह का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 17.03.2017 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ। अपने अभ्यावेदन में डा0 सिंह द्वारा कमोवेश उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा पूर्व जॉच अधिकारी को अपने उत्तर में प्रस्तुत किये गये हैं।

5- शासन के पत्र संख्या-1372/37-3-2017-3(05)/2016 टी.सी., दिनांक 06.10.2017 द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रकरण में निहित किसी शासकीय क्षति संबंधी सुस्पष्ट सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, जो उनके पत्र संख्या-480/स्था0-3/53बी(309), दिनांक 11.10.2017 द्वारा शासन को प्राप्त हुई, जिसमें किसी शासकीय क्षति का उल्लेख नही किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- अपचारी अधिकारी पर लगाये गये आरोप, जाँच अधिकारी की जाँच आख्या, सिद्ध पाये आरोप के दृष्टिगत प्राप्त अभ्यावेदन, शासकीय क्षति के संबंध में निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त आरोप को इस आधार पर सिद्ध पाया गया कि डा0 सिंह द्वारा तथ्यों को अपने लाभ के अनुसार तोड-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया, किन्तु डा0 सिंह द्वारा प्रकरण में किसी वित्तीय अनियमितता/क्षति की पुष्टि नही हुई है।

7- अतः सिद्ध पाये गये आरोप के बावजूद अपचारी अधिकारी के कृत्यों से किसी शासकीय धनराशि की क्षति के अभाव एवं सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351-ए के प्राविधानों के दृष्टिगत डा0 जे0पी0एन0 सिंह, तत्कालीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को एतद्द्वारा श्री राज्यपाल बगैर दण्ड के समाप्त किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या-12/2017/ 1541(1) /37-3-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- सम्बन्धित अपर निदेशक ग्रेड-2, द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- पशुधन अनुभाग-1।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

वेदप्रकाश सिंह राजपूत
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।